(84)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2591–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–6–2015 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 208/अपील/2012–13.

रामा आ0 धुन्धा
निवासी ग्राम बघोली बुर्जुग
तहसील मुलताई जिला बैतूल .....आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती मंजू करोले पत्नी शेषराव
2– शेषराव आ0 धुन्धा
निवासीगण निवासी ग्राम बघोली बुर्जुग
तहसील मुलताई जिला बैतूल .....अनावेदकगण

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0पी0 यादव, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/2/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा बघोली बुजुर्ग तहसील मुलताई स्थित भूमि सर्वे कमांक 202 रकबा 0.983 हेक्टेयर रामा, शेषराव व भद्दू के नाम शामिल शरीक अभिलिखित थी । आपसी विभाजन के पश्चात अनावेदक कमांक 2 शेषराव एवं भद्दू

द्वारा प्रश्नाधीन भूमि में से रकबा 0.600 हेक्टेयर अनावेदिका कमांक 1 को पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से विकय कर दी गई एवं उक्त भूमि पर अनावेदिका कमांक 1 का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया, परन्तु अनावेदक कमांक 2 शेषराव का नाम नहीं काटा गया, जिससे व्यथित होकर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुलताई के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–3–2013 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–10–2006 निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 9–6–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ भेजा गया कि प्रकरण में पुनः सूक्ष्म जांच कर प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए निराकरण करें । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता में हुए संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 49 (3) के अंतर्गत अपीलीय न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने की अधिकारिता नहीं रह गई है, अतः आयुक्त द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) खसरा कमांक 202 रकबा 0.983 हेक्टेयर भूमि में से अनावेदक कमांक 2 एवं भद्दू द्वारा अपने हिस्से की 0.600 हेक्टेयर भूमि अनावेदक कमांक 1 को पंजीकृत विकय पत्र द्वारा विकय की गई है, और अपने हिस्से की भूमि विकय करने के उपरांत विकेताओं का नाम राजस्व रिकार्ड में सह खातेदार के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है कि अनावेदक कमांक 2 एवं भद्दू द्वारा रकबा 0.600 हेक्टेयर भूमि विकय करने के उपरांत भी 0.23 हेक्टेयर भूमि पृथक–पृथक अनावेदक कमांक 2 एवं भद्दू के वैधानिक वारिसों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करना चाहिए थी, क्योंकि यदि अधीनस्थ न्यायालय के मतानुसार अनावेदक कमांक 2 एवं भद्दू के वैधानिक वारिसों के नाम पर राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज की जाती है तो अन्य खातेदारों के हिस्से की भूमि को कम करना पड़ेगा ।

(4) अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनावेदक कमांक 2 को आयुक्त के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि वह अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पक्षकार था, अतः पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण प्रथम दृष्टया ही अपील प्रचलन योग्य नहीं थी ।

(5) आयुक्त द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि विकय कर दिये जाने के बावजूद भी अनावेदकगण की भूमि शेष रही थी, इसलिए उनका नाम कम नहीं करने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) आवेदक द्वारा दस्तावेजों के विपरीत कथन किया जा रहा है, और उसके द्वारा विधि विपरीत तथ्यों के आधार पर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभिलेख एवं बेनामे का एकसाथ परिशीलन नहीं कर आदेश पारित करने में घोर लापरवाही की गई है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पंजीकृत विकय पत्र को नहीं मानने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है, जबकि पंजीकृत विकय पत्र की जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है, और उसके आधार पर नामांतरण करने हेतु बाध्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 2 शेषराव एवं भद्दू द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का रकबा 0.600 हेक्टेयर का विकय अनावेदिका कमांक 1 श्रीमती मंजू को किया गया है, और अनावेदिका कमांक 1 मंजू का नाम राजस्व अभिलेखों में विकय पत्र के आधार पर दर्ज किया गया है, परन्तु विकेता शेषराव का नाम कम नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश नहीं है । उपरोक्त स्थिति पर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है, इसलिए उनके आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य हैं । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे प्रश्नाधीन भूमि के

सभी हिस्सेदारों को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में दोबारा गुण–दोष पर आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–6–2015, अनुविभागीय अधिकारी, मुलताई द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–3–2013 एवं तहसीलदार, मुलताई द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–10–2006 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण तहसीलदार को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर